

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

जोन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

दिनांक - 19/19

श्रीमती आंगर कंवर बंसोली कतौह सिंहरजपूत निवासी - लेसावा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती आंगर कंवर बंसोली कतौह सिंहरजपूत निवासी - लेसावा तहसील माण्डल [कौंसिल]  
(सिंहकोट गांव संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-3-19

आदेश:-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेसावा पटवार हलका लेसावा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 361, 368 कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.01.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आपेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसावा पटवार हलका लेसावा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 361, 368 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा जो पुरखता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक श्री. ए. डी. राणा को 300/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल